विषयवस्तु

प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
अध्याय I: **विहंगावलोकन**		
अनुच्छेद सं.		**पृष्ट सं.**
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	4
1.3	प्रतिवेदन की संरचना	4
1.4	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजट प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	5
1.4.1	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	8
1.4.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सूक्ष्मावलोकन	9
1.5	राजकोषीय संतुलनः घाटा और कुल ऋण के लक्ष्यों की प्राप्ति	10
1.6	लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें	16
1.6.1	लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा	16
1.6.2	लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	17
अध्याय II**: राज्य का वित्त**		
2.1	वर्ष 2018-19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव	19
2.2	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	20
2.3	राज्य के संसाधन	21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	22
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ और वृद्धि	23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	31
2.3.3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	36
2.3.4	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	37
2.4	संसाधनों का उपयोग	37
2.4.1	व्यय का संयोजन एवं वृद्धि	38
2.4.2	राजस्व व्यय	40
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	41
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	42
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुन्मुक्त दायित्व	44
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य	46

विषयवस्तु		
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	47
2.4.3	पूंजीगत व्यय	48
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	49
2.4.3.2	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	54
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	55
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय	56
2.5	लोक लेखा	57
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	57
2.5.2	आरक्षित निधियां	58
2.5.2.1	राज्य आपदा मोचन निधि	59
2.5.2.2	प्रत्याभूति मोचन निधि	61
2.6	ऋण प्रबंधन	62
2.6.1	ऋण रुपरेखाः घटक	63
2.6.2	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और पुनर्भुगतान	68
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	70
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग	72
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	73
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	74
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	77
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
3.1	बजट प्रक्रिया	79
3.1.1	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्यों का सारांश	82
3.1.2	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	82
3.2	विनियोग लेखे	82
3.3	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रमाणिकता पर टिप्पणियाँ	83
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	83
3.3.2	अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग	84
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	85
3.4	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	91
3.4.1	एकमुश्त बजट प्रावधान	91
3.5	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	91
3.5.1	बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर	91
3.5.2	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	94

विषयवस्तु		
3.5.3	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्त पोषण	103
3.5.4	व्यय का प्रवाह	106
3.5.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा	108
3.6	प्रशंसनीय कदम	116
3.7	सिफारिशें	117
अध्याय–IV : लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग		
4.1	राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं करना	119
4.1.1	राज्य सरकार के बजट से इतर उधार और बढ़ती आकस्मिक देयताएं	119
4.2	राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ही हस्तान्तरित निधियां	121
4.3	स्थानीय निधियों को जमा	121
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	123
4.4.1	अनुदानग्राही को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	125
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	126
4.6	निजी निक्षेप खाता	131
4.6.1	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए पीडी खाता	133
4.6.2	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)	133
4.6.3	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा	134
4.6.4	राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि	134
4.6.5	निजी निक्षेप खातों का मिलान	135
4.6.6	अप्रचलित निजी निक्षेप खाता	136
4.7	लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	137
4.8	मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	138
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	141
4.10	नकद शेष का मिलान	142
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	142
4.12	स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	143
4.13	विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कम्पनियाँ	144
4.14	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	145
4.15	पेंशन का अधिक/कम भुगतान	147
4.16	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	148
4.17	निष्कर्ष	148
4.18	सिफारिशें	148

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य के वित्तीय आंकड़े	151
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार की सारान्शिकृत वित्तीय स्थिति	152
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2019-20 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	154
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय सारणी आंकड़े	159
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	161
परिशिष्ट-3.1	बजट सम्बन्धित शब्दों की शब्दावली	162
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम अधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	165
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें रही	166
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	168
परिशिष्ट-3.5	एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)	169
परिशिष्ट-3.6	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 1 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	171
परिशिष्ट-3.7	मामलें जहाँ अंतिम तीन वर्षों में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	179
परिशिष्ट-3.8	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	180
परिशिष्ट-4.1	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तांतरण (राज्य बजट से बहार रखी गई निधियां)	184
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2019-20 तक के बकाया सारान्शिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	186
परिशिष्ट-4.3	वर्ष 2015-20 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	189
परिशिष्ट-4.4	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	191
परिशिष्ट-4.5	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
परिशिष्ट-4.6	विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का श्रेणीवार विवरण	195
परिशिष्ट-4.7	पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण	196